

राजस्थान सरकार



# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 91/सीका/1998-99

यह प्रमाणित किया जाता है कि विपेकानन्द पटविकर  
संस्थान-रीगेर जिला सीका का  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान  
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया  
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक 23 माह फरवरी सन् एक हजार नौ सौ नवम्बर  
में दिया गया।



आर.के. शर्मा  
रजिस्ट्रार (संस्थाएं)  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
सीका